महत्वपूर्ण तत्काल

निर्वाचन भवन
58, अरेरा हिल्स भोपाल–462011
Email – mpsec@mp.gov.in
Ph.No. - 0755-2555527

हर वोट कीमती • हर निकाय महत्वपूर्ण

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

क्रमांक–एफ–37 / PN–01 / 2021 / तीन / 896 भोपाल, दिनांक 22 / 12 / 2021

प्रति,

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
(स्थानीय निर्वाचन)
जिला–समस्त
मध्य प्रदेश।

विषयः त्रि–स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021–22 में सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा रोके जाने के संबंध में।

संदर्भः 1. आयोग का पत्र क्रमांकः एफ–37 / PN–01 / 2021 / तीन / 681–683, दिनांकः 04 / 12 / 2021.
2. आयोग का पत्र क्रमांकः एफ–37 / PN–01 / 2021 / तीन / 839–840, दिनांकः 17 / 12 / 2021.
3. आयोग का पत्र क्रमांकः एफ–37 / PN–01 / 2021 / तीन / 845–846, दिनांकः 18 / 12 / 2021

******

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के SLP(C) क्रमांक 20734 / 2021 [Miscellaneous Application Diary No(s) 31495/2021] मनमोहन नागर विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17 / 12 / 2021 के पालन में मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि–स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021–22 हेतु जारी समय अनुसूची (कार्यक्रम) आदेश क्रमांक एफ–37 / PN–01 / 2021 / तीन / 681, दिनांक 04 / 12 / 2021 के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित की गयी है।

2 / – माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह भी निर्देशित किया है कि :–

"... Further, election for General Category seats shall proceed along with other election already notified and is underway but results of all the seats (including re-notified General seats) will be declared together on the same day."

N

— 2—

3/– अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पारित आदेश दिनांक 17/12/2021 के पालन में आयोग द्वारा त्रि–स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021–22 हेतु जारी समय अनुसूची (कार्यक्रम) आदेश क्रमांक एफ–37/PN–01/2021/तीन/681, दिनांक 04/12/2021 की **कंडिका–7 में उल्लेखित** निम्नलिखित कार्यवाहियाँ निष्पादित की जावें :–

(i) मतदान केन्द्र पर की जाने वाली मतगणना (पंच/सरपंच पद के लिए),

(ii) जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की विकासखण्ड मुख्यालय पर ई.व्ही.एम. से की जाने वाली मतों की गणना एवं

(iii) पंच/सरपंच पद की विकासखण्ड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना।

परन्तु समस्त पदों हेतु मतगणना का सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा संबंधी कार्यवाहियाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आगामी आदेश तक तत्काल स्थगित की जाती है। उक्तानुसार स्थगित की गई मतगणना का सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा के संबंध में निर्देश आयोग द्वारा पृथक से जारी किये जायेंगे।

4/– कृपया इस संबंध में निम्नलिखित निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें :–

(1) मतदान केन्द्र पर की गई मतगणना (पंच/सरपंच पद के लिए) से सम्बंधित समस्त अभिलेख, जनपद पंचायत सदस्य/जिला पंचायत सदस्य के विकासखण्ड मुख्यालय पर ई.व्ही.एम. से की गई मतों की गणना तथा पंच/सरपंच पद की विकासखण्ड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना से संबंधित समस्त अभिलेख उपस्थित अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं की उपस्थिति में सीलबंद कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जायेंगे।

(2) किसी भी पद पर निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति निर्मित होने की दशा में भी रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अभ्यर्थी को सम्यक् रूपेण निर्वाचित घोषित नहीं किया जायेगा और न ही निर्वाचन का प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

(3) संबंधित रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर/विकासखण्ड और ग्राम पंचायत के सूचना फलक पर इस आशय की सूचना चस्पा की जाये तथा इसका व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावे।

कृपया आदेश का पालन किया जाना सुनिश्चित करें। पत्र प्राप्ति की अभिस्वीकृति ई–मेल द्वारा भेजी जावे।

(बी.एस.जामोद)
सचिव
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

पृ0क्रमांक–एफ–37 / PN–01 / 2021 / तीन / 897 भोपाल, दिनांक 22 / 12 / 2021

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ''मंत्रालय'' वल्लभ भवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,''मंत्रालय'' वल्लभ भवन, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, गृह विभाग, ''मंत्रालय'' वल्लभ भवन, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव(कार्मिक), मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, ''मंत्रालय'' वल्लभ भवन, भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, ''मंत्रालय'' वल्लभ भवन, भोपाल।
7. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल।
8. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग, 'मंत्रालय'' वल्लभ भवन, भोपाल।
9. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग 'मंत्रालय'' वल्लभ भवन, भोपाल।
10. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश भोपाल।
11. आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
12. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
13. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम एवं राज्य स्तरीय एजेन्सी, भोपाल।
14. आयुक्त जनसम्पर्क, म0प्र0, भोपाल, की ओर कार्यक्रम के प्रचार–प्रसार हेतु अग्रेषित।
15. श्रमायुक्त इन्दौर मध्यप्रदेश।
16. नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, म0प्र0, भोपाल, की ओर मतपत्रों के मुद्रण की व्यवस्था हेतु अग्रेषित।
17. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
18. समस्त उप सचिव / अवर सचिव, म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
19. उप संचालक (वित्त), म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल।
20. स्टाफ आफिसर, राज्य निर्वाचन आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
21. जनसंपर्क अधिकारी, म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल।
22. समस्त अनुभाग अधिकारी, म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
23. प्रभारी अधिकारी, सूचना प्रौद्योगिकी, म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
24. गार्ड फाईल।

उप सचिव

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग